न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 28/2022 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं सहायक कलेक्टर मु. सवाईमाधोपुर निवासी ,32 ए राजविहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/57

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.3.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 09.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर की अध्यक्षता में 03 सदस्य जॉच दल द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर सवाईमाधोपुर का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 7.7.21 को किया गया था जिसकी जॉच की सम्पूर्ण प्रतियॉ तथा उसके संबंध में समस्त जॉच एवं कार्यवाहीयों की फोटो प्रमाणित प्रतियॉ आवेदक को उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक: विविध/2022/192 दिनांक 22.3.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.11.2021 में चाही गयी सूचना (सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर की अध्यक्षता में 3 सदस्य जॉच दल द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर सवाईमाधोपुर का दिनांक 7.7.2021 को किये गये निरीक्षण की जॉच रिपोर्ट की सम्पूर्ण प्रतियॉ) चाही गयी थी किन्तु सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर कार्यालय में उक्त सखी सेंटर के निरीक्षण से संबंधित कोई रिकार्ड नही पाया गया है तत्कालीन सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर से वार्ता किये जाने पर अवगत कराया कि दिनांक 7.7.2021 को सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग की पत्रावली जो कोष कार्यालय मे थी पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशो की पालना में एटीओ कोष कार्यालय के साथ खसी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट तत्समय कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को दे दी गयी थी है सहायक कलेक्टर कार्यालय मे उक्त निरीक्षण रिपोर्ट की कोई प्रति नही रखी गयी है। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग सवाईमाधोपुर की पत्रावली पर होने की पुष्टि आदेशिका के पैरा एन 190 से एन/194 से भी होती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना महिला एवं अधिकारिता विभाग की पत्रावली पर होने के कारण सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर से कोई सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,.2005 के तहत दिनांक 9.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग सवाईमाधोपुर के कार्यालय से संबंधित होने के कारण सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र तत्समय महिला अधिकारिता विभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित नही है जो आवश्यक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो का अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे। साथ ही अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना महिला अधिकारिता विभाग सवाईमाधोपुर के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है ।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:47 IST
Reason: SelfAttested